

अभय कुमार
आई.ए.एस.



प्रमुख शासन सचिव
गृह, गृह रक्षा, जेल
रा. रा. अन्वेषण ब्यूरो, परिवहन
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त
राजस्थान सरकार

क्रमांक: प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक : 26.02.2021

1. महाप्रबंधक,
उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
2. एयरपोर्ट डायरेक्टर,
एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।


विषय :- महाराष्ट्र/केरल से आने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। उक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा बाबत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक:प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 25 फरवरी, 2021 जारी किया जा चुका है।

उक्त आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करावें।

भवदीय


(अभय कुमार)

प्रतिलिपि समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह